बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक.........................

एस0ओ0.. दिनांक............................

विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/2000-3324/जे0, दिनांक-07.09.2000 की कंडिका संख्या-3 में बिहार राज्य विधि आयोग हेतु अंशकालीन सदस्यों के चयन (नियुक्ति) का उल्लेख है। सम्प्रति विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5635, दिनांक-03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि का विस्तार दिनांक-07.09.2015 से अगले तीन वर्षो के लिए किया गया है।

बिहार राज्य विधि आयोग के अंशकालीन सदस्यों की संख्या को 3 **(तीन) निर्धारित** करने की घटनोत्तर स्वीकृति देते हुए बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के पत्रांक-वि0आ0स्था0(राज0)-06/2012-276, दिनांक-21.12.2015 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा **दिनांक-07.09.2015 से अगले तीन वर्षों तक के लिए बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से, चयन (नियुक्त) किया जाता है:-**

(1)	**प्रो0 डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ**	-	उपकुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय नगर, मीठापुर, पटना-800001
(2)	**डा0 सैयद अली मोहम्मद**	-	अनुबंधित प्राध्यापक, चाणक्य नेशनल ला यूनिवर्सिटी, पटना
(3)	**डा0 अंशुमन**	-	अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, द्वारिका मंदिर रोड, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना।

(2) उपर्युक्त अंशकालीन सदस्यों का चयन (नियुक्ति) इस अधिसूचना की निर्गत की तिथि से आयोग के वर्तमान कार्यकाल अर्थात-06.09.2018 तक सीमित रहेगा। यह चयन (नियुक्ति) विधि आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(3) अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा। पटना स्थित आयोग के अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक मो0-250/- (दो सौ पचास) रूपये परिवहन भत्ता देय होगा।

(4) अंशकालीन सदस्यों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000/- (एक हजार) रूपया मानदेय देय होगा।

(5) उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट **"मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0006-विधि आयोग के अन्तर्गत-2801-व्यवसायिक और विशेष सेवाएँ"** इकाई से होगा, जिसका **विपत्र कोड एन-2014001140006** है।

इस शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना होंगे।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-02/2007/....46..../जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.1.2016

(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0 02/2007...46..../जे0, पटना, दिनांक-06-01-16

प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रभारी ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी0 प्रति (साफ्ट कॉपी) के साथ अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेश को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विधि विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-02/2007...46..../जे0 पटना, दिनांक 06-01-16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार राज्य विधि आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-02/2007...46..../जे0 पटना, दिनांक 06-01-16

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव बिहार के सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय/प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-02/2007...46..../जे0 पटना, दिनांक 06-01-16

प्रतिलिपिः- डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ, उपकुलपति, चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय नगर, मीठापुर, पटना-800001/डा0 सैयद अली मोहम्मद, अनुबंधित प्राध्यापक, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना एवं डा0 अंशुमन, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, द्वारिका मंदिर रोड, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार) 6-1-2016
सरकार के सचिव, बिहार।

\Adhisuchna\A AJ-02 07-46-06 01 2016 Docx